अल्पकालीन निविदा सूचना
उ0प्र0पुलिस विभाग, जनपद–सोनभद्र।

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में दिनांक 07.03.2022 को सम्पन्न होने वाले चुनाव के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल/होमगार्डस आदि के व्यवस्थापन, चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस बल की चुनाव पूर्व ब्रीफिंग एवं अन्तर्राज्यीय/अन्तर जनपदीय सीमा सील करने के लिए बैरियर लगाये जाने आदि अन्य प्रयोजनों हेतु विशेष आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सामग्री किराये पर आपूर्ति किये जाने हेतु कतिपय शर्तो जिनका विवरण नीचे अंकित है, के अधीन (विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग–अलग)अल्पकालिक निविदा दिनांक 19–2–2022 को अपरान्ह 14.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:–

1–सीपीएमएफ/पीएसी/जिला पुलिस एवं होमगार्ड के व्यवस्थापन स्थल पर अस्थायी शौचालय/स्नानागार/किचन की व्यवस्था का विवरण

क्र0 सं0	नाम जनपद	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	किराये पर ली जाने वाली सामग्री की कुल आवश्यकता की संख्या	कब से	कब तक
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	सीपीएमएफ/पीएसी की 88 कम्पनियों के कुल व्यवस्थापन स्थल 81 पर अतिरिक्त अस्थायी स्नानागार की आवश्यकता **(टोटी/पाईप से युक्त कनात से घिरा हुआ तथा फर्श सहित)**	1050	04.03.2022	07.03.2022
2	सोनभद्र	सीपीएमएफ की 88 कम्पनियों के कुल व्यवस्थापन स्थल 81 पर अतिरिक्त अस्थायी शौचालय की आवश्यकता	निकाय क्षेत्र में–254 ग्रामीण क्षेत्र में–368	04.03.2022	07.03.2022
3	सोनभद्र	सीपीएमएफ के 03 टेक्टिल हेड क्वाटर हेतु अस्थायी स्नानागार की अतिरिक्त आवश्यकता **(टोटी/पाईप से युक्त कनात से घिरा हुआ तथा फर्श सहित)**	9	04.03.2022	07.03.2022
4	सोनभद्र	सीपीएमएफ के 03 टेक्टिल हेड क्वाटर हेतु अस्थायी शौचालय की अतिरिक्त आवश्यकता	निकाय क्षेत्र में–09	04.03.2022	07.03.2022
5	सोनभद्र	सीपीएमएफ/पीएसी के लिए अस्थायी किचन हेतु कनात **(04 कनात से घेरा बनारकर तैयार किया जाना है)**	56	04.03.2022	07.03.2022
6	सोनभद्र	जिला पुलिस के निरीक्षक/उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी के कुल–3720 के कुल व्यवस्थापन स्थल 16 पर अतिरिक्त अस्थायी स्नानागार की आवश्यकता **(टोटी/पाईप से युक्त कनात से घिरा हुआ तथा फर्श सहित)**	267	04.03.2022	07.03.2022
7	सोनभद्र	जिला पुलिस के निरीक्षक/उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी के कुल–3720 के कुल व्यवस्थापन स्थल 16 पर अतिरिक्त अस्थायी शौचालय की आवश्यकता	निकाय क्षेत्र में–67 ग्रामीण क्षेत्र में–128	04.03.2022	07.03.2022
8	सोनभद्र	जिला पुलिस हेतु अस्थायी किचन हेतु कनात **(04 कनात से घेरा बनारकर तैयार किया जाना है)**	7	04.03.2022	07.03.2022
9	सोनभद्र	कुल–2696 होमगार्ड के कुल व्यवस्थापन स्थल 14 पर अतिरिक्त अस्थायी शौचालय की आवश्यकता	निकाय क्षेत्र में–43 ग्रामीण क्षेत्र में–70	04.03.2022	07.03.2022

2–(क)सीपीएमएफ/पीएसी के व्यवस्थापन स्थल पर पीने के लिये पानी बल्ब तार होल्डर, जनरेटर प्रकाश आदि व्यवस्था का विवरण

1	सोनभद्र	पीने हेतु पानी की 200 लीटर के ड्रम	176	04.03.2022	07.03.2022
2	सोनभद्र	एक्सटेंशन बोर्ड मय वायर 05 प्वाइंट का	435	04.03.2022	07.03.2022
3	सोनभद्र	जनरेटर 7.5 केवीए प्रकाश व्यवस्था हेतु	33	04.03.2022	07.03.2022
4	सोनभद्र	तार	4350 मीटर	04.03.2022	07.03.2022
5	सोनभद्र	बल्ब 200 वाट/एलईडी 20 वाट	1305	04.03.2022	07.03.2022
6	सोनभद्र	होल्डर	435	04.03.2022	07.03.2022
7	सोनभद्र	बाथरूम बाल्टी 10 लीटर	1305	04.03.2022	07.03.2022
8	सोनभद्र	शौचालय बाल्टी 02 लीटर	1305	04.03.2022	07.03.2022
9	सोनभद्र	मग्गा 01 लीटर	1305	04.03.2022	07.03.2022

2–(ख) जिला पुलिस के व्यवस्थापन स्थल पर पीने के लिये पानी बल्ब तार होल्डर, जनरेटर प्रकाश आदि व्यवस्था का विवरण					
1	सोनभद्र	पीने हेतु पानी की 200 लीटर के ड्रम	31	04.03.2022	07.03.2022
2	सोनभद्र	जनरेटर 7.5 केवीए प्रकाश व्यवस्था हेतु	4	04.03.2022	07.03.2022
3	सोनभद्र	तार	770 मीटर	04.03.2022	07.03.2022
4	सोनभद्र	बल्ब	131	04.03.2022	07.03.2022
5	सोनभद्र	होल्डर	68	04.03.2022	07.03.2022
6	सोनभद्र	बाथरूम बाल्टी 10 लीटर	319	04.03.2022	07.03.2022
7	सोनभद्र	शौचालय बाल्टी 02 लीटर	319	04.03.2022	07.03.2022
8	सोनभद्र	मग्गा 01 लीटर	319	04.03.2022	07.03.2022
2–(ग) होमगार्डस के व्यवस्थापन स्थल पर पीने के लिये पानी बल्ब तार होल्डर, जनरेटर प्रकाश आदि व्यवस्था का विवरण					
1	सोनभद्र	पीने हेतु पानी की 200 लीटर के ड्रम	28	04.03.2022	07.03.2022
2	सोनभद्र	जनरेटर 7.5 केवीए प्रकाश व्यवस्था हेतु	8	04.03.2022	07.03.2022
3	सोनभद्र	तार	660 मीटर	04.03.2022	07.03.2022
4	सोनभद्र	बल्ब	114	04.03.2022	07.03.2022
5	सोनभद्र	होल्डर	54	04.03.2022	07.03.2022
6	सोनभद्र	बाथरूम बाल्टी 10 लीटर	218	04.03.2022	07.03.2022
7	सोनभद्र	शौचालय बाल्टी 02 लीटर	218	04.03.2022	07.03.2022
8	सोनभद्र	मग्गा 01 लीटर	218	04.03.2022	07.03.2022

2–(घ) 4000 कर्मियों के ब्रीफिंग हेतु किराये पर 225×225=50625 वर्ग फिट पण्डाल की व्यवस्था

क0सं0	नाम जनपद	किराये पर लिये जाने वाली सामग्री का नाम	किराये पर ली जाने वाली सामग्री की कुल आवश्यकता की संख्या	प्रति 24 घण्टे की दर	कितने अवधि हेतु
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	पण्डाल	225X225x9	455625	05.03.2022 को 24 घण्टे के लिये
2	सोनभद्र	टीन एवं कनात	675X12	8100	
3	सोनभद्र	4000 कुर्सी	4000x8	2000	
4	सोनभद्र	25 हार्न	25x53	1325	
5	सोनभद्र	68 मीटर माईक लाइन	68x5x12	4080	
6	सोनभद्र	68 मीटर विद्युत लाइन	68x5x12	4080	
7	सोनभद्र	2812 दरी	2812x12	33744	
8	सोनभद्र	ट्यूब लाइट	250x10	2500	
9	सोनभद्र	पैडइस्ट्रल पंखा	225x53	11925	
10	सोनभद्र	बाल्टी	225x4	900	
11	सोनभद्र	जग	225x4	900	
12	सोनभद्र	ग्लास	1125x2	2250	
13	सोनभद्र	जनरेटर 40/60 केवीए	2329x1	2329	

14	सोनभद्र	अन्तराज्यीय/अर्न्तजनपदीय बैरियर कुल–34	317x34	10778	06.03.2022 से 07.03. 2022 तक 48 घण्टे के लिये
15	सोनभद्र	अन्तराज्यीय/अर्न्तजनपदीय बैरियर हेतु 20 वर्गफीट के पण्डाल कुल–34	180x34	6120	
16	सोनभद्र	कुर्सी प्रत्येक बैरियर पर 06	204x8	1632	

उपर्युक्त सभी प्रयोजनों हेतु अलग–अलग निविदा फार्म भरा जायेगा तथा सभी प्रयोजनों की निविदा मुहर बन्द लिफाफे में अलग–अलग डाली जायेगी। यह निविदा दिनांक 19.02.2022 को अपरान्ह 14.00 बजे अधिकृत प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म/ठेकेदार के प्रतिनिधि उपस्थित रहेगें।

निविदा की शर्तेः–

1– निविदा दाता फर्म का नियमानुसार व्यापार कर/जी0एस0टी0/पैन में पंजीकरण होना अनिवार्य है, निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण–पत्र की पठनीय छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। किसी अन्य संस्थान से ब्लैकलिस्ट की गयी फर्म निविदा डालने हेतु अर्ह नही होगी।

2– निविदा फार्म का मूल्य रू0 500–00 है, जो निविदा आमंत्रित करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय अवधि तक पुलिस कार्यालय, सोनभद्र से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित फर्म को उक्त धनराशि वापस नही की जायेगी।

3– प्रत्येक निविदादाता को 02 अलग–अलग लिफाफा मुहरबन्द करके एक बड़े मुहरबन्द लिफाफे में डालना होगा, जिसमें पहला लिफाफा टैक्निकल बिड तथा दूसरा लिफाफा फाइनेन्सियल बिड का होगा। दोनों लिफाफे पर बिड का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

4– इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म निविदा प्रकाशन की तिथि से टेण्डर डाले जाने की तिथि के एक दिवस पूर्व तक किसी भी दिन कार्य दिवस में प्रधान लिपिक शाखा, पुलिस कार्यालय, सोनभद्र में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिनांक 19–2–2022 को समय 10.00 बजे से अपरान्ह 14.00 बजे तक रखे गये टेण्डर बाक्स में डाला जायेगा तथा उसी दिन अपरान्ह् 15.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।

(क) टैक्निकल बिडः–

1– इस बिड में फर्म का भाग एक, जिसमें यथा–निविदा दाता फर्म/प्रोपराइटर का नाम, पिता–पत्नी का नाम व पता, व्यापार कर, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति, मोबाईल नम्बर, अर्नेस्ट मनी जमा करने मूल्य (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) जो पुलिस अधीक्षक,सोनभद्र के नाम से बंधक के रूप में होगा, संलग्न किया जायेगा।

2–कनात,शौचालय एवं इस प्रकार के कार्य करने का विगत 03 वर्ष का अनुभव होने विषयक प्रमाण–पत्र।

3–पूर्व में पुलिस विभाग या किसी अन्य शासकीय विभाग में कार्य करने सम्बन्धी अभिलेख की प्रति।

(ख) फाइनेन्सियल बिडः–

सर्वप्रथम टैक्निकल बिड खोली जायेगी तथा उक्त बिड में निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने वाली फर्म की फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी। फाइनेन्शियल बिड में निविदा फार्म का भाग–2 पूर्ण रूपेण भरा जायेगा, जिसमें किराये पर लिए जाने वाली सामग्री का मात्रा/अवधि के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

1– उपरोक्त समस्त आईटमों को आवश्यकतानुसार (समयावधि/सामग्री) कम या ज्यादा किए जाने तथा उनके उपभोग अवधि को घटाये–बढ़ाये जाने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। टेण्डर में अस्थायी बाथरूम (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) के लिए निविदा में अंकित दर घंटा के आधार पर निर्धारित न होकर बल्कि सम्पूर्ण अवधि के लिए अंकित की जायेगी। शेष अन्य वस्तु/सामग्री/मात्रा के सम्बन्ध में प्रति 24घंटे की दर से प्रति अदद की धनराशि का उल्लेख किया जायेगा, जिससे जितनी मात्रा में

वस्तु/सामग्री का जितनी अवधि तक उपयोग किया जायेगा, उसी के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2— किसी भी निविदा को किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी फर्म व ठेकेदार को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नही होगा।

3— निविदा के साथ प्रथम प्रयोजन हेतु रू0 90,000—00, द्वितीय प्रयोजन हेतु रू0 5,000/— एवं तृतीय प्रयोजन हेतु रू0 2,000/— अर्नेस्ट मनी (नकद) के रूप में जमा करना अनिवार्य है।

4— जिस फर्म की निविदा अंतिम रूप से स्वीकृत होगी, उसे सही प्रकार से कार्य करने सम्बन्धी इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि चुनाव के अंतिम समय तक यदि किसी सामग्री की आवश्यकता होगी तथा उसे पहुॅचाने हेतु निर्देशित किया जायेगा तो उसे तत्काल आपूर्ति करना होगा। उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्थानों (जनपद के विभिन्न स्थानों जहॉ पर सम्बन्धित बल व्यवस्थापित होगा) पर की जायेगी तथा भण्डारण एवं रख—रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिस फर्म की निविदा स्वीकृत हुई हो, की होगी। किसी भी सामग्री को लाने व ले जाने सम्बन्धी किराया—भाड़ा अलग से प्रदान नही किया जायेगा।

5— निविदाकर्ता के पास उपलब्ध सामान एवं सामग्री के भण्डारण स्थल का निरीक्षण किए जाने का अधिकार पुलिस विभाग के पास होगा। निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिए जाने पर सामग्री का भण्डारण जनपद में कहीं प्रत्यक्ष रूप से कमेटी को दिखाना होगा।

6— निविदा में उल्लिखित सामग्री के अतिरिक्त विशेष आवश्यकता पड़ने पर अन्य सामानों की सम्पूर्ति भी सम्बन्धित फर्म को करनी पड़ेगी।

7— आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामग्री वापस कर दी जायेगी तथा उसके स्थान पर निविदादाता फर्म/ठेकेदार को पुनः अच्छी गुणवत्ता के सामग्री की आपूर्ति समयान्तर्गत करनी होगी।

8— निविदा स्वीकृत होने के 03 दिवस के अन्दर जमानत धनराशि के रूप में न्यूनतम निविदा के धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदाकर्ताओं में से न्यूनतम निविदा प्रस्तुत किए जाने वाले फर्म/व्यक्ति की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी।

9— आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किए जाने के उपरान्त् यदि समय से आपूर्ति नही की जाती है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

10— निर्माण सम्बन्धी कार्यो में पानी की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।

11— कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्दर बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बिलम्ब आदि के लिए सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगें।

12— निविदा स्वीकृति का कार्यादेश प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार निर्धारित तिथि तक सम्पूर्ण निविदा कार्य/सम्पूर्ति आदि व्यवस्था पूर्ण कर लेगा। यह व्यवस्था फर्म/ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने कर्मचारी/संसाधन के माध्यम से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक आदेशित फर्म/ठेकेदार द्वारा अपेक्षित व्यवस्था नही की जायेगी, तो उस फर्म के ठेकेदार/फर्म की धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा दूसरे फर्म तथा ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत करा दिया जायेगा, साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जायेगी।

13— बिलों का भुगतान उ0प्र0शासन/उ0प्र0पुलिस मुख्यालय द्वारा नियत मानक के अन्तर्गत आवंटित अनुदान से किया जायेगा।

14— किसी प्रकार की सशर्त निविदाऍ नही की जायेगी, अन्यथा उन्हें स्वीकार नही किया जायेगा।

15— स्वीकृत निविदादाता फर्म/ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा।

16— निर्धारित शर्तो का पालन न करने वाले ठेकेदार/फर्म का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

17– निविदा न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शर्तो एवं क्वालिटी में अन्तर पाया जायेगा, तो किसी भी फर्म की निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतया सुरक्षित रहेगा।

18– लाउडस्पीकर व माईक व्यवस्था में भी पृथक से तार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी। इसी प्रकार जनरेटर में भी तार के लिए अलग से अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी।

19– अधोहस्ताक्षरी सबसे कम धनराशि वाले निविदा/अथवा किसी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिए बाध्य नही है।

20– विद्युत व्यवस्था में तार/होल्डर की कीमत भी बल्ब/हैलोजन के साथ सम्मिलित होगी।

21– जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नोटिफिकेशन सं0 12/2017 सेन्ट्रल टैक्स(रेट) दिनांक 28.06.2017 में निहित प्राविधानों एवं के अनुरूप किया जायेगा।

22– अस्थाई बाथरूम (शौचालय/स्नानागार) के उपभोग के उपरान्त् फर्म द्वारा किराये पर ली गयी सामग्री वापस लेने के उपरान्त् वहॉं पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए समतलीकरण आदि की कार्यवाही करायी जायेगी, जिसका अलग से कोई चार्ज देय नही होगा।

संख्याः च–02/2022
दिनांकःफरवरी ,2022

पुलिस उप महानिरीक्षक/
पुलिस अधीक्षक
सोनभद्र।

*द्वारा–ई–मेल/**फैक्स**/क्यू–मेल*

प्रतिलिपिः– कृपया निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन,उ0प्र0,वाराणसी।
3– पुलिस उप महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र,उ0प्र0,मीरजापुर।

प्रतिलिपिः– कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी जोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
3– जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु।
4– अधिशासी अभियन्ता,नगर पालिका परिषद, सोनभद्र।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्राप्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,सोनभद्र।
6– अपर पुलिस अधीक्षक–मुख्यालय/आपरेशन सोनभद्र।
7– समस्त क्षेत्राधिकारीगण जनपद–सोनभद्र।
8– चुनाव सेल, पुलिस विभाग, सोनभद्र।
9– प्रभारी मीडिया सेल, कैम्प कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
10–प्रतिसार निरीक्षक/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
11– प्रधान लिपिक/आंकिक को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
12– प्रभारी सी0सी0टी0एन0एस0 सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा को उ0प्र0पुलिस एवं उ0प्र0शासन की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13–दफ्तरी पुलिस कार्यालय, सोनभद्र को पुलिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।